समाहरणालय, मुंगेर।
(खास महाल कार्यालय)

–: फ्रेश लीज हेतु खुली डाक द्वारा नीलामी की आम सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महाल गिर्द किला, तौजी नं0–1333, खाता संख्या–53, खेसरा संख्या–484, रकवा– 10 डिसमिल या 0–6–1 धूर भूमि एवं उस पर अवस्थित भवन के फ्रेश लीज हेतु खुली डाक द्वारा दिनांक 23.07.2013 को पूर्वाह्न 11:00 बजे समाहरणालय अवस्थित सभा भवन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त वर्णित भूमि की चौहद्दी एवं मूल्यांकन निम्वनत् है :–

चौहद्दी	
उत्तर	सड़क
दक्षिण	सुनील दास
पूर्व	राम कुमार दास
पश्चिम	मणि प्रसाद सिंह वगैरह।
मूल्यांकन	
उपरोक्त भूमि का बाजार मूल्य	₹ 54,36,050.00/–
इस पर अवस्थित भवन का मूल्य	₹ 22,27,500.00/–
बकाया लगान की दुगुनी राशि का 10% सूद के साथ	₹ 924.00/–
सम्पत्ति का कुल बाजार मूल्य	**₹ 76,64,474.00/–** (छिहत्तर लाख चौसठ हजार चार सौ चौहत्तर रुपये)

इस भूमि सहित भवन की फ्रेश लीज हेतु न्यूनतम राशि ₹ 76,64,474.00/– (छिहत्तर लाख चौसठ हजार चार सौ चौहत्तर रुपये) निर्धारित है। जो भी इच्छुक व्यक्ति इस खुली डाक में भाग लेना चाहते हैं, वे वर्णित स्थान पर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं।

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तों का पालन करना होगा :–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को डाक में भाग लेने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत की राशि के रूप में जमा करना होगा। सर्वोच्च डाकवक्ता को छोड़कर अन्य डाकवक्ता को डाक की जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी। सर्वोच्च डाकवक्ता की जमानत की राशि का समायोजन डाक की राशि में किया जाएगा।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को संबंधित अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

3. डाक की समाप्ति पर उच्चतम डाकवक्ता को डाक की 25 प्रतिशत राशि जिला नजारत में उसी दिन जमा करना होगा तथा शेष राशि 03 किश्तों में एक माह के अन्दर जिला नजारत में जमा करना होगा। सर्वोच्च डाकवक्ता द्वारा फ्रेश लीज लेने से इनकार किए जाने पर उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी और द्वितीय डाकवक्ता द्वारा लगाई गई बोली की राशि संतोषजनक पाए जाने पर उनके साथ उपरोक्त शर्त्तों के अधीन फ्रेश लीज देने पर विचार किया जाएगा।
4. बिना कारण बताए डाक को स्थगित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. सर्वोच्च डाक की राशि डाक सम्पन्न होने के साथ डाकवक्ता को नियमानुसार निबंधन शुल्क/स्टाम्प शुल्क एवं पेजिंग शुल्क डाक की राशि के अतिरिक्त जमा करना होगा एवं एकरारनामा कराना होगा।
6. विशेष जानकारी के लिए जिला खास महाल कार्यालय, मुंगेर से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-

समाहर्त्ता, मुंगेर।

ज्ञापांक............/खा0म0, दिनांक.............

प्रतिलिपि :- श्री गोधन प्रसाद सिंह, पे0-स्व0 अयोध्या प्रसाद सिंह एवं श्री नीलाम्बर सिंह, पे0- श्री गोधन प्रसाद सिंह, साकिन- भगत सिंह चौक, घोषी टोला, मुंगेर को खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक 99, दिनांक 16.04.2013 के क्रम में प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे लीज नवीकरण वाद सं0-01/12-13 में पारित आदेश के अनुरूप इस खुली डाक में भाग लें। उनके द्वारा इस डाक में उच्चतम डाकवक्ता रहने एवं अधिकतम बोली लगाने के उपरान्त 15 दिनों के अंदर राशि जमा करने की स्थिति में ही बिहार खास महाल नीति, 2011 के निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार उनके साथ फ्रेश लीज की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं किए जाने पर अतिक्रमण हटाकर संबंधित भूमि की फ्रेश लीज अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के साथ नियमानुसार की जाएगी।

ह0/-

समाहर्त्ता, मुंगेर।

ज्ञापांक 0650/खा0म0, दिनांक 29/6/13

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/जिला खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस आम सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

29/6/13

समाहर्त्ता, मुंगेर।